1	2	3
14.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-वही-
15.	कुमारी पुनित	शारीरिक अपंग
16.	अनिल खान	सदाशयता
17.	श्रीमती वीना प्रसाद	विधवा
18.	अशोक पटेल	सदाशयता
19.	बृज रानी शर्मा	शारीरिक अपंग
20.	वीरेन्द्र प्रभाकर	सदाशयता
21.	कैप्टन अदनीराज सिंह	-वही-
22.	राजिन्द्र सिंह	-वही-
23.	श्रीमती आर.एम. मैथ्यू	-वही-
24.	श्रीमती यशमिन सैफुल्ला	-वही-
25.	निराला	-वही-
26.	जयन्त भट्टाचार्यजी	-वही-
27.	राम रतन राम	-वही-

1.1.95 से 31.12.95 तक बिना बारी एस०एफ०एस० फ्लैट आबंटन प्राप्त व्यक्ति

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	आधार
1.	श्री वज़ात अबीब उल्लाह	सदाशयता
2.	श्री रमन त्रिवेदी	-वही-
3.	श्री तीर्थ राज	-वही-
4.	श्री दलजीत सिंह पनुआ	-वही-
5.	श्रीमती रशमी बख्शी	विधवा
6.	श्री मानशेर सिंह	सदाशयता
7.	श्री एन० दामोदरन नायर	-वही-
8.	श्रीमती लक्ष्मी सुन्दरन	विधवा
9.	सुश्री धुनेश कुमार	सदाशयता
10.	श्री अतुल वारसन	-वही-
11.	श्रीमती संगीता सिंह	विधवा
12.	सुश्री डी० डोगरा	सदाशयता
13.	श्रीमती बन्दना सिंह	विधवा
14.	श्रीमती अनिता भल्ला	-वही-
15.	श्रीमती वीना शाही	-वही-
16.	श्रीमती गीता आर० चौपड़ा	-वही-

विश्व पुस्तक मेला

*119. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले का उदघाटन करने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में उद्घाटन भाषण करने के लिए विवश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस मेले में भारतीय प्रकाशकों को पेश आ रही समस्याओं पर कोई चर्चा की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा सिन्धु भोई): (क) जी, नहीं। किसी को इस प्रकार विवश नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रकाशकों की रुचि के विषयों पर चर्चा हुई जैसे समीक्षा पत्रों की भूमिका, प्रतिलिप्यधिकार और लाइसेंसिंग, इमदाद अधिकारों की बिक्री, ग्रामीण पाठकों को पुस्तकों की उपलब्धता, कागज़ की कमी, देश-विदेश में पुस्तकों का विपणन, इत्यादि।

Functioning of Shastri Indo-Canadian Institute

*120. SHRI V. GOPALSAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of complaints received by Government in the past from Members of Parliament and others regarding

the functioning of Shastri Indo-Canadian Institute, Delhi;

(b) the details thereof, the nature of the complaints and also action taken on each complaint;

(c) whether any proceedings have been initiated against the officers responsible for the misdeeds in the Institute; and

(d) the steps being taken to put the Institute in order?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) Three complaints were received from two Members of Parliament in regard to termination of services of two employees of the Institute.

(c) The services were terminated after full enquiry and observance of legal procedure for acts of indiscipline, insubordination and fraudulence. The matter regarding termination of their services is now pending adjudication in a Labour Court.

(d) A firm of Management Consultants of international repute has carried out a review of the functioning of the Institute and has not made any adverse comments. However, the Board of Directors have constituted a Review Committee to suggest a new mandate for the Institute.

गणतन्त्र दिवस समारोहों हेतु पास दिया जाना

712. **श्री जनेश्वर मिश्र:**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमर शहीद अब्दुल हमीद की पत्नी को गणतन्त्र दिवस समारोह देखने के लिए पास नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में पहले से कोई व्यवस्था नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में तथ्यपूर्ण ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए निमंत्रण पत्र रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। उच्च वीरता पुरस्कार विजेताओं अथवा मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के मामले में उनके नजदीकी रिश्तेदारों को उनसे गणतंत्र दिवस परेड देखने हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर समुचित निमंत्रण-पत्र जारी किए जाते हैं। चूंकि दिवंगत कम्पनी हवलदार मेजर अब्दुल हमीद की पत्नी से इस मंत्रालय को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था, अतः उन्हें निमंत्रण-पत्र जारी नहीं किया जा सका।

Violation of Biomedical Waste Management Rules

713. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in the Pioneer dated the 2nd February, 1996 regarding violation by Delhi Hospitals of the rules on biomedical waste management framed by the Ministry of Environment and Forests; and

(b) if so, what steps have been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Yes, Sir.

(b) Ministry of Environment and Forests have notified draft Bio-medical Wastes (Management and Handling) Rules, 1995 under the Environment (Protection) Act, 1986 on 25.4.1995 for eliciting opinion/objections of the public and concerned agencies likely to be affected. As these rules have been notified only as Draft Rules, the question of violation thereof does not arise.